

अनुदान संख्या 3 - पशुपालन एवं डेरी विभाग
GRANT No. 3-DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	517,60,00	453,78,87	-63,81,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			60,67,57
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	24,35,00	9,52,49	-14,82,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			13,84,23

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

	शीर्ष Head			
मुख्य शीर्ष "2403"	Major Head "2403"			
पशु पालन	Animal Husbandry			
मू.	O.	13106.00	9874.82	9756.73
पु.	R.	-3231.18		
मुख्य शीर्ष "2404"	Major Head "2404"			
डेरी विकास	Dairy Development			
मू.	O.	21510.00	16336.25	16295.05
पु.	R.	-5173.75		
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"			
मछली-पालन	Fisheries			
मू.	O.	3903.00	3819.70	3761.21
पु.	R.	-83.30		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	3000.00		
पु.	R.	-3000.00		
O.				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	9171.00	14597.10	14550.33
पु.	R.	5426.10		-46.77

(I) 3388.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3130.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2403" - "मांस संसाधन - बूचड़खानों/पशु शव और उप उत्पादों का सुधार"- 130.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से वैध प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 3000.00 लाख रु. निधियों का उपयोग आंशिक रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्कीमों पर व्यय करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोजन किए जाने और शेष निधियों का अभ्यर्पण व्यपगत न होने वाले पूल को किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2403" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य"-

(I) Provision of Rs.3388.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.3130.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2403" - "Meat Processing - Improvement of Slaughter Houses/Carcass and By-products" - Rs.130.00 lakhs - due to non-receipt of valid proposals from Union Territory Governments.

(B) Major Head "2552"- "Other Expenditure - Provision for Project/Schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim" - Rs.3000.00 lakhs - due to utilisation of funds partly by re-appropriation to functional heads for incurring expenditure on schemes in North Eastern Region and surrender of remaining funds to non-lapsable pool.

(II) Under Major Head "2403" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Veterinary Services and Animal Health" -

- (क) “पांव और मुंह संबंधी रोगों पर नियंत्रण कार्यक्रम”- 1735.16 लाख रु. की बचत (3900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांव और मुख संबंधी रोगों पर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करके निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैव उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र”- 340.00 लाख रु. की बचत (640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर निधियों में समग्र रूप से कमी कर दिए जाने के कारण हुई।
- (खा) “पशु और भैंस विकास”-
- (क) “केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म”- 236.39 लाख रु. की बचत (1368.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न उप शीर्षों के अंतर्गत किफायत के लिए कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “पशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना”- 787.50 लाख रु. की बचत (4150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर निधियों में समग्र रूप से कमी किए जाने के कारण हुई।
- (III) मुख्य शीर्ष “2404” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (का) “डेरी विकास परियोजनाएं - सहकारिताओं को सहायता के लिए एनडीडीबी को सहायता अनुदान”- 479.00 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर निधियों में समग्र रूप से कमी कर दिए जाने के कारण हुई।
- (खा) “दिल्ली दुग्ध योजना”-
- (क) “प्रशासन”- 100.49 लाख रु. की बचत (563.96 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “अधिप्राप्ति”- 3872.53 लाख रु. की बचत (16668.64 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (a) “Foot and Mouth Diseases Control Programme” – saving of Rs.1735.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3900.00 lakhs) was due to utilisation of funds by way of release of funds to State/UTs for implementation of the FMD Control Programme.
- (b) “National Veterinary Biologicals Products Quality Control Centres” – saving of Rs.340.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 640.00 lakhs) was due to overall reduction of funds at revised estimates stage.
- (B) “Cattle and Buffalo Development” -
- (a) “Central Cattle Breeding Farms”- saving of Rs.236.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1368.00 lakhs) was due to economic cut under different sub heads.
- (b) “National Project for Cattle & Buffalo Breeding”- saving of Rs. 787.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4150.00 lakhs) was due to overall reduction of funds at revised estimates stage.
- (III) Under Major Head “2404”- savings occurred under the following heads :-
- (A) “Dairy Development Projects – Grants- in-aid to N.D.D.B. for Assistance to Co-operative” – saving of Rs.479.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to overall reduction of funds at revised estimates stage.
- (B) “Delhi Milk Scheme” -
- (a) “Administration” – saving of Rs.100.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.563.96 lakhs);
- (b) “Procurement” – saving of Rs.3872.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16668.64 lakhs); and

(ग) "संसाधन"- 628.49 लाख रु. की बचत (2230.65 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें दिल्ली दुग्ध योजना से प्राप्तियों की कम वसूली होने के कारण हुई। व्यय को दिल्ली दुग्ध योजना से वास्तविक प्राप्तियों तक सीमित किया गया था।

(IV) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मछली पालन - समुद्र तट से दूर मछली पालन" के अंतर्गत 109.79 लाख रु. की बचत (551.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न उप शीर्षों में किफायत के लिए कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "मछली पालन - अंतर्देशीय मछली पालन - ताजा पानी में एक्वाकल्चर का विकास"- 264.64 लाख रु. की बचत (1270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "मछली पालन - समुद्री मछली पालन"-

(क) "समुद्री मछली पालन का विकास"- 260.00 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "मुख्य तथा लघु पत्तनों पर मछली पकड़ने की बंदरगाह सुविधाएं"- 125.00 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर निधियों में समग्र रूप से कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(VI) पांच शीर्षों के अंतर्गत 409.33 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत

(c) "Processing" - saving of Rs.628.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2230.65 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less realisation of receipts from Delhi Milk Scheme. Expenditure was limited to actual receipts from Delhi Milk Scheme.

(IV) Under Major Head "2405" - "Marine Fisheries - Off-shore Fisheries" - saving of Rs.109.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.551.00 lakhs) was due to economic cut in different sub heads.

(V) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Fisheries - Inland Fisheries - Development of Fresh Water Aquaculture" - saving of Rs.264.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1270.00 lakhs);

(B) "Fisheries - Marine Fisheries" -

(a) "Development of Marine Fisheries"- saving of Rs.260.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs); and

(b) "Fishing Harbour Facilities at Major and Minor Ports"- saving of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to overall reduction of funds at revised estimates stage.

(VI) Under five heads savings of Rs.409.33 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 50 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई:-

- (का) “पशु पालन - पशु और बैस विकास”-
 (क) “मुख्य पशुधन उत्पाद के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण”- 200.20 लाख रु. का अधिक व्यय (260.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।
 (ख) “पशु और बैस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय उत्पाद”- 236.71 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) योजना को लागू करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।
 (ग) “पशुधन की गणना करने में राज्यों को सहायता”- 2808.00 लाख रु. का अधिक व्यय (235.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 17वें पशुधन गणना कार्य के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।
 (खा) “पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य”-
 (क) “पशु प्लेग उन्मूलन पर राष्ट्रीय परियोजना”- 135.00 लाख रु. का अधिक व्यय (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।
 (ख) “पशु रोग नियंत्रण”- 1676.60 लाख रु. का अधिक व्यय (1594.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांव और मुंह संबंधी रोगों पर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ। बजट प्रावधान इस शीर्ष में कम रखा गया था।
 (ग) “पांव और मुंह संबंधी रोगों पर नियंत्रण कार्यक्रम”- 789.00 लाख रु. का अधिक व्यय (98.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांव और मुंह संबंधी रोगों पर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

Sponsored Plan Schemes” - under the following heads :-

- (A) “Animal Husbandry – Cattle and Buffalo Development” –
 (a) “Integrated Sample Survey on Estimation of Production of Major Livestock Product” – excess of Rs.200.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.260.00 lakhs) was due to release of funds to State Governments for implementation of the scheme.
 (b) “National Product for Cattle and Buffalo Breeding” - excess of Rs.236.71 lakhs (against nil provision) was due to release of funds to North Eastern State Governments for implementation of the scheme.
 (c) “Assistance to States in conduct of Livestock Census” - excess of Rs.2808.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.235.00 lakhs) was due to release of funds to State Governments for 17th Livestock Census Work.
 (B) “Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health” –
 (a) “National Project on Rinderpest Eradication” - excess of Rs.135.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to release of funds to different State Governments.
 (b) “Animal Disease Control” - excess of Rs.1676.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1594.00 lakhs) was due to release of funds to State/UT Governments for implementation of the FMD Control Programme. The budget provision was kept less in this head.
 (c) “Foot and Mouth Disease Control Programme” - excess of Rs 789.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.98.00 lakhs) was due to release of funds to State/UT Governments for implementation of the FMD Control Programme.

(गा) “कुक्कुट विकास - कुक्कुट विकास के लिए सहायता”- 256.50 लाख रु. का अधिक व्यय (249.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और सिक्किम को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(घा) “मछली पालन - समुद्री मछली पालन - मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण”- 137.98 लाख रु. का अधिक व्यय (1540.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कीमों पर व्यय करने के लिए किए गए एकमुश्त प्रावधान से निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 98.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 4900 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “4405”	Major Head “4405”				
मछली पालन पर	Capital Outlay on Fisheries				
पूंजीगत परिव्यय					
मू.	O.	2335.00		950.77	890.80
पु.	R.	-1384.23			

(I) “विस्तार और प्रशिक्षण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “गहन समुद्र में मछली पालन”- 1289.54 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने के जलयानों के निर्माण में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) “भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण”- 152.83 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(C) “Poultry Development - Assistance for Poultry Development” - excess of Rs.256.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.249.00 lakhs) was due to release of funds to North Eastern Region States and Sikkim.

(D) “Fisheries - Marine Fisheries - National Welfare of Fishermen” - excess of Rs.137.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1540.00 lakhs) was due to release of funds from lump sum provision for incurring expenditure on schemes in North Eastern Region.

(II) Under one head excess of Rs.98.00 lakhs occurred constituting 4900 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

(I) Under “Extension and Training” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Deep Sea Fisheries” – saving of Rs.1289.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to delay in construction of fishing vessels.

(B) “Fishery Survey of India” – saving of Rs.152.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.